

मि. सं. 29-01/2022-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार
 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
 विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन,
 आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा,
 नई दिल्ली-110012
 दिनांक: 05 दिसंबर, 2022

सेवा में,

Sh. Sanoujam Shyamcharan Singh
 Chingamathak, Yumnam Leikai,
 Ngakraba Leirak, Imphal-795001
 (Manipur).

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति-विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए
 श्री० Sanoujam Shyamcharan Singh, Manipur से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/22/00093 दिनांक 15.11.2022)

महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना मौगी गई है। उपरोक्त के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 22.11.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) को एक पत्र संयुक्त निदेशक (ई.आर.), योजना अधिकारी द्वारा पत्र संख्या १०-२/एमएन-ईआर/2021 (आर.टी.आई) दिनांक 8 अगस्त, 2022 की एक प्रति प्रदान करने के लिए आपको पहले ही भेजा जा चुका है।

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :-

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार),
 विस्तार निदेशालय,
 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
 कमरा संख्या 204, कृषि विस्तार सदन,
 पूसा, नई दिल्ली-110 012,
 दूरभाषः— 011-25849881 व ई-मेल पता:—shailesh.mishra29@gov.in

भवदीया

पृष्ठा. भानुमति

(एस. भानुमति)

उप निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आई.ओ.)

दूरभाषः— 011.25846467

ई-मेल:— deepa.pande65@gov.inसंलग्न : उपरोक्ताब्दिप्रतिलिपि:-

- अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
- श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इंचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जबाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाईट www.krishivistar.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

F.No.10-1/2021-AE[Pt](FTS P-101464)

Government of India
 Ministry of Agri. & Farmers Welfare
 Dept. of Agriculture & Farmers Welfare
 Directorate of Extension

Krishi Bhawan
 New Delhi-110 00
 Dated the 22nd November, 2022

To,

Sh. Sanoujam Shyamcharan Singh,
 S/o (L) Sanoujam Jugol Singh,
 Chingamathak Yumnam Leikai,
 Ngakraba Lierak, P.O. P.S. Imphal,
 Imphal West, Manipur – 795 001.

SUB.: Supply of Information under RTI Act, 2005 – Applications received from Sh. Sanoujam Shyamcharan Singh, Manipur (Registration No.DOEEXT/R/T/22/ 00093 dated 15th November, 2022) – reg.

Sir,

I am directed to refer to your RTI Applications Registration No.DOEEXT/R/T/22/00093 dated 15th November, 2022) seeking information under Right to Information Act, 2005.

You have referred a letter No.SNO-2/MAN-ER/2021(RTI) dated 8th August, 2022 in your aforesaid RTI. It was felt necessary to seek above referred letter before considering the RTI further.

You are, therefore, requested to please provide a copy of the letter No.SNO-2/MAN-ER/2021(RTI) dated 8th August, 2022.

*Issue
Ajay
12/11/22*

(Balram Singh)
 Joint Director (Extension Reforms)
 Telephone:011-23381764

Copy to: - Deputy Director (Administration) & CPIO, DoE, Krishi Vistar Bhawan, Pusa, New Delhi, for information and necessary action.